अपील सूचना अधिकार संख्या 147/2016 अनवानी बली मोहम्मद पुत्र सरदार अली निवासी वार्ड न. 18 मण्डी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ

12–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बली मोहम्मद उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. ग्राम ठुकराना पटवार हल्का ठुकराना, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर स्थित खसरा नं. 594/185, 593/185, 595/185, 596/185, 186, 187, 188, 189 का रेवन्यू रिकार्ड का मौका नक्शा एक पेज पर रास्ते सहित अंकित कर प्रमाणित करके उपलब्ध करवाया जाये।
2. ग्राम ठुकराना पटवार हल्का ठुकराना तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर स्थित खसरा नं. 594/185, 593/185, 595/185, 596/185, 186, 187, 188, 189 के आंवटियों (अलोटियों) के नाम क्रमानुसार उपलब्ध (प्रमाणित कर) करवाये जाये।
3. ग्राम ठुकराना, पटवार हल्का ठुकराना, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0) स्थित खसरा नं. 594/185 व खसरा नं. 187 के बीच की दूरी कितनी है बीघों में (किलों में) है कि प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है जो उसे तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू. अ.) सूरतगढ़ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 6389 दिनांक 06.10.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 22.08.16 को प्राप्त हुआ है जिसका विधिक जबाब उनके कार्यालय के पत्र सं0 6184 दिनांक 15.09.2016 द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर भिजवा दिया गया था।

तहसीलदार (भू. अ.) सूरतगढ़ द्वारा पत्र सं0 6184 दिनांक 15.09.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

1. बिन्दु संख्या 01 में आप द्वारा ग्राम ठुकराना के खसरा नंबर 594/185, 593/185, 595/185, 596/185, 186, 187, 188, 189 का नक्शा चाहा है। पटवार अभिलेख में नक्शा जिस कदर संधारित है उसकी प्रमाणित प्रति पत्र के साथ भिजवाई जा रही है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स अनुसार नियत प्रतिलिपि शुल्क बीस रूपये आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न भा.पो.आ. (आई पी ओ) क्रमांक 16 जी 034224 द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। अभिलेख या सूचना जिस कदर संधारित है, उसी रूप में दी जा सकती है। सृजित करके नही दी जा सकती हैं।
2. बिन्दु संख्या 2 में आप द्वारा उपर्युक्त खसरा नंबर में काश्तकारो के नाम की प्रमाणित प्रति चाही है। उक्त के लिये आप द्वारा जमाबंदी अभिलेख प्राप्त किया जा सकता है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स अनुसार साठ रूपये प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर पटवारी हल्का या तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3. बिन्दु संख्या 3 में आप द्वारा चाही गई सूचना के लिये नक्शा प्रति संलग्न है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना जिस कदर अभिलेख में संधारित है, उसी रूप में प्रदान की जा सकती है सूचना सृजित करके नही दी जा सकती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार, सूरतगढ के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दु सं0 1 व 3 की सूचना जिस प्रकार उनके कार्यालय में उपलब्ध है वह उनके द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु सं0 2 के संबंध में लैण्ड रिकार्ड रूल्स के अनुसार 60 रूपये प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर पटवारी हल्का या तहसील कार्यालय से प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है जो अपीलार्थी को राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गयें तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा बिन्दु सं0 1 व 3 की सूचना जिस प्रकार से उनके कार्यालय में उपब्लध है अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है और बिन्दु सं0 2 के संबंध में लैण्ड रिकार्ड रूल्स के अनुसार 60 रूपये प्रतिलिपि शुल्क संबंधित पटवारी हल्का या तहसील कार्यालय से प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर